



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



15 FALGUN 1945 (S)

No. 134

RANCHI, TUESDAY 5th MARCH, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th March, 2024

Notification No.- 16/2023 – State Tax (Rate)

S.O. No. 63, Dated 05th March, 2024--In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.17/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 47, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i.) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other motor vehicle except omnibus” shall be substituted;

(ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.”;

(iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -

“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 20th day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note:-The principal notification No. 17/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 47, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 17/2021 - State Tax (Rate), dated the 2nd February, 2022 vide S.O. No. 84, dated the 2nd February, 2022.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 16/2023- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 63, दिनांक 5 मार्च, 2024 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 47, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(i) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";

- iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

“(घ) "कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : मूल अधिसूचना को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 47, दिनांक 29 जून, 2017, को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021- राज्य कर (दर), दिनांक 2 फरवरी, 2022, जिसे एस.ओ. सं. 84, दिनांक 2 फरवरी, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
